[11/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 205]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 205

परिशिष्ट

करमसरा सिचाई जलाशय के संबंध में

करमसरा सिंचाई जलाशय नगर पालिका परिषद मलाजखण्ड के क्षेत्रांतर्गत आने वाला सिंचाई जलाशय है जिसे पटटा आदेश क्रमांक 1667 दिनांक 29.09.2011 से मछलीपालन हेतु 10 वर्षीय पटटे पर नवयुवक अजेय एकता समिति करमसरा को प्रदाय किया गया है।

नवयुवक अजेय समिति करमसरा विकासखण्ड बिरसा तहसील बैहर म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत एक बहुउददेशीय संस्था है जिसका पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटीज जबलपुर से बहुउददेशीय कार्यो के लिए किया गया है संस्था के बहुउददेशीय कार्यो में ग्रामीण तालाबों को लीज में लेना एवं उनमें मछली पालन करना भी है।

पूर्व में करमसरा सिंचाई जलाशय में ताम्र परियोजना मलाजखण्ड का बहुत ही ज्यादा रसायनयुक्त प्रदूषित पानी जलाशय में आकर मिलता था जिससे जलाशय का पानी मछली पालन योग्य नहीं था। जलाशय में मत्स्य बीज संचयन के उपरांत संचित मछली मर जाती थी, उक्त परिस्थिति में कोई अन्य क्षेत्रीय समिति/समूह/व्यक्ति जलाशय को पटटे पर लेने हेतु आवेदन नहीं करता था।

जनपद पंचायत बिरसा की बैठक दिनांक 26.06.2011 मे पारित प्रस्ताव क्रमांक 03 के अनुमोदन उपरांत पटटा आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए मछली पालन हेतु पटटा जारी किया गया। तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा पटटा आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की है एवं किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया।

28.7.2021

संचालक मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछली पालन विभाग